रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

**हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित**

**शिमला, सोमवार, 17 नवम्बर, 2003/26 कार्तिक, 1925**

### हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

हिमाचल प्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्यों (रेल/वायु/सड़क मार्ग द्वारा मुफ्त पारगमन) नियम, 2003

अधिसूचना

शिमला-171004, 11 नवम्बर, 2003

संख्या वि0 स0-फिन-3स (फैसी0-पूर्व विधायक) 212/03.—अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते एवं पैंशन) अधिनियम, 1971 की धारा-7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूतपूर्व विधायकों की रेल/वायु मार्ग/सड़क मार्ग द्वारा पारगमन की सुविधाओं को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (भूतपूर्व सदस्यों के रेल/वायु मार्ग/सड़क मार्ग द्वारा मुफ्त पारगमन) नियम, 2003 होगा।

(ii) ये नियम 22 सितम्बर, 2003 से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—(i) इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

क. "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते एवं पैंशन) अधिनियम, 1971 अभिप्रेत है।

ख. "सचिव" से हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय के सचिव अभिप्रेत हैं।

ग. "भूतपूर्व सदस्य" से भूतपूर्व मुख्य मन्त्री/भूतपूर्व मन्त्री/भूतपूर्व राज्य मन्त्री/भूतपूर्व उप मन्त्री/भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव तथा विधान सभा के अन्य भूतपूर्व सदस्य अभिप्रेत है।

घ. "प्रारूप" से इन नियमों में संलग्न किया गया प्रारूप अभिप्रेत है।

ङ. "सम्परीक्षा अधिकारी" से महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।

च. "निगम" से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम अभिप्रेत है।

छ. "पब्लिक ट्रांसपोर्ट" उन वाहनों से अभिप्रेत है जो हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाए जा रहे जनोपयोगी वाहनों के अतिरिक्त भारत की किसी भी राज्य सरकार या परिवहन निगम के नियन्त्रण में हों।

(ii) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दावली और पदावलियों, जिनकी यहां परिभाषा नहीं दी गई, के अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में दिए गए है।

3. रेल/वायु मार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा यात्रा.—भूतपूर्व सदस्यों को रेल द्वारा या वायु मार्ग द्वारा अथवा राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा निशुल्क यात्रा (ट्रांजिट) सुविधा-(1) कोई भी भूतपूर्व सदस्य अपनी पत्नी या पति या उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति सहित भारत में किसी भी रेल द्वारा भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी किए गए चालू सवारी डिब्बा टैरिफ के अनुसार द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित रेल डिब्बे में किसी भी समय यात्रा करने का हकदार होगा और की गई ऐसी यात्रा की टिकटों को प्रारूप-I पर (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करने पर ऐसे उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा :

परन्तु यह कि किसी वित्तीय वर्ष में की गई ऐसी यात्रा पर इस प्रकार उपगत कुल रकम, द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित रेल डिब्बे द्वारा पन्द्रह हजार किलोमीटर तक की गई यात्रा के लिए संदेय रेल टैरिफ की रकम से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि भूतपूर्व सदस्य और उसकी पत्नी या पति और उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति इस प्रतिपूर्ति के विरुद्ध, किसी वातानुकूलित रेल डिब्बे द्वारा यात्रा कर सकेगा।

परन्तु यह और कि भूतपूर्व सदस्य और उसकी पत्नी या पति या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भारत में वायु मार्ग या लोक परिवहन द्वारा भी यात्रा कर सकेगा और उस दशा में ऐसी यात्रा के टिकट को प्रारूप-1 पर (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करने पर ऐसी यात्रा पर उपगत व्यय के बराबर की रकम की प्रतिपूर्ति ऐसे भूतपूर्व सदस्य को की जाएगी और इस प्रकार प्रतिपूरित रकम का समायोजन उसकी रेल द्वारा यात्रा करने की हकदारी के विरुद्ध किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी भी वित्तीय वर्ष में रेल या वायु मार्ग या लोक परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित रेल डिब्बे द्वारा पन्द्रह हजार किलोमीटर की यात्रा के लिए संदेय रेल टैरिफ की रकम से अधिक नहीं होगी।

4. प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य यथास्थिति अपनी पत्नी या पति या उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति सहित हिमाचल पथ परिवहन निगम की किसी भी बस (साधारण

या डीलक्स) में प्रदेश या प्रदेश से बाहर, जहां पर यह वाहन चलते हैं, में किसी भी समय यात्रा भाड़े और उस पर लिए जाने वाले यात्री कर की अदायगी किए बिना मुफ्त यात्रा करने का अधिकारी होगा।

(i) इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को सचिव, विधान सभा द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एक परिचय पत्र दिया जाएगा जिसमें मुफ्त यात्रा करने का उल्लेख होगा।

(ii) भूतपूर्व सदस्य ऐसा सामान मुफ्त ले जा सकेगा जिसे कि मुफ्त ले जाने की अनुज्ञा हो और अधिक सामान के लिए यदि निगम ने कोई दरें निर्धारित की हों तो उसकी उसे स्वयं अदायगी करनी होगी।

5. व्यावृत्तियां.—इन नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव,
हि0 प्र0, विधान सभा।

---

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति (नियम 3 देखें)
(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा)

1. नाम ..... 2. चुनाव क्षेत्र .....

3. यात्रा का मार्ग ..... रेल/वायु मार्ग/सड़क परिवहन .....

दिनांक .....से.....तक

राशि .....

टिकट नं0.....

दिनांक.....से.....तक

राशि.....टिकट नं0 .....

कुल .....

प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा पत्नी या पति या साथी ..... (नाम) के साथ की गई है।

मूलभूत टिकटों को विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित करके इसके साथ भेजा जाता है। कृपया मुझे उपर्युक्त व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए।

भूतपूर्व सदस्य
विधान सभा।

दिनांक .....

मंजूरी प्रदान की जाती है और.....रुपये के भुगतान के लिए आदेश दिए जाते हैं।

सचिव,
विधान सभा।

दिनांक.....

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 11 नवम्बर, 2003

संख्या 3-26/93-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते एवं पैंशन) अधिनियम, 1971 की धारा-7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (विधायकों को विधायक सदन तथा शिमला में आवास आबंटन तथा अतिथि गृह) नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (विधायकों को विधायक सदन तथा शिमला में आवास आबंटन तथा अतिथि गृह) (प्रथम संशोधन) नियम, 2003 होगा ।

(II) ये नियम 22 सितम्बर, 2003 से लागू होंगे ।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (विधायकों को विधायक सदन तथा शिमला में आवास आबंटन तथा अतिथि गृह) नियम, 2002 की धारा 5 (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्,

"विधायक, जिन्हें विधायक सदन तथा शिमला में आवास आवंटित किया जाएगा वे उसमें स्वयं अपने नाम पर बिजली व पानी के मीटर लगवाएंगे तथा बिजली और पानी की खपत के बिलों का भुगतान भी आबंटी विधायक सम्बन्धित विभागों को नियमित रूप से स्वयं करेंगे ।"

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

---

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

हिमाचल प्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्यों के (भवन निर्माण के लिये अग्रिम) नियम, 2003

अधिसूचना

शिमला-171 004 11 नवम्बर, 2003

संख्या वि0 स0-फिन (फैसी-पूर्व विधायक) 212/03.—अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) अधिनियम, 1971 की धारा-7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भूतपूर्व सदस्यों के भवन निर्माण अग्रिम को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्यों के (भवन निर्माण के लिये अग्रिम) नियम, 2003 होगा ।

(2) ये नियम, 22 सितम्बर, 2003 से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के (सदस्यों के भत्ते एवं पैंशन) अधिनियम, 1971 अभिप्रेत है ।

(ख) "सचिव" से हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय के सचिव अभिप्रेत है ।

(ग) "सम्परीक्षा अधिकारी" से महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ।

(घ) "प्रारुप" से इन नियमों में संलग्न किये गये प्रारुप अभिप्रेत है ।

(ङ) "मंजूरी प्राधिकारी" से हिमाचल प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष अथवा इस निमित उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत हैं ।

(च) "भूतपूर्व सदस्य" से भूतपूर्व मुख्य मंत्री/भूतपूर्व मन्त्री/भूतपूर्व राज्य मंत्री/भूतपूर्व उप मंत्री/भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव तथा विधान सभा के अन्य भूतपूर्व सदस्य अभिप्रेत है ।

(छ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दावली और पदावलियां, जिनकी यहां परिभाषा नहीं दी गई है, के अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में दिये गए हैं ।

3. अग्रिम कब अनुज्ञेय होगा.—ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को, जिन्होंने सदस्य के रूप में गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा प्राप्त नहीं की है, गृह निर्माण अथवा निर्मित भवन क्रय हेतु प्रारुप-1 में आवेदन करने पर प्रदिेय अग्रिम धनराशि दी जा सकेगी ।

4. अग्रिम की अधिकतम सीमा.—भूतपूर्व सदस्य को भवन निर्माण अथवा निर्मित भवन क्रय हेतु अग्रिम की अधिकतम राशि तीन लाख रुपये या वास्तविक कीमत या भवन निर्माण की लागत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ।

5. अदायगी की विधि.—इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अग्रिम राशि की अदायगी अधोलिखित विधि से की जायेगी :—

1. अपने स्वयं के भवन निर्माण हेतु.—(क) पहली किश्त निर्माण आरम्भ करने के लिए स्वीकृत धनराशि के 50% के बराबर ।

(ख) दूसरी तथा अन्तिम किश्त जब भवन छत की स्तह तक पूर्ण हो जाये, तो स्वीकृत कुल अग्रिम धनराशि का शेष 50% ।

2. निर्मित भवन खरीदने हेतु.—स्वीकृत राशि एक मुश्त में ।

टिप्पणी.—भूतपूर्व सदस्य द्वारा यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उसके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये किया गया है, जिसके लिये यह अग्रिम राशि उसे दी गई थी । यह प्रमाण-पत्र उक्त प्रयोजन के लिये वास्तविक उपयोगिता प्रमाण-पत्र माना जायेगा ।

6. अग्रिम की वसूली.—(1) स्वीकृत अग्रिम धनराशि तथा उस पर लगे ब्याज की वसूली अधिकतम 60 मासिक समान किश्तों में की जायेगी । यदि भूतपूर्व सदस्य स्वयं ऐसा चाहे तो अध्यक्ष कम किश्तों में वसूली के आदेश दे सकेंगे । अग्रिम की कटौती, प्रथम किश्त अथवा एक मुश्त अग्रिम राशि प्राप्त करने के पश्चात् मिलने वाली प्रथम पैंशन से आरम्भ की जाएगी । मूलधन और ब्याज की वसूली साथ-साथ होगी ।

(2) स्वीकृत अग्रिम राशि पर 5% (पांच प्रतिशत) की दर पर साधारण ब्याज प्रभारित होगा ।

(3) भूतपूर्व सदस्य द्वारा लिए गए अग्रिम तथा उस पर लगे ब्याज की मासिक किश्तों की कटौती उन्हें देय पैंशन से की जा सकेगी । यदि पैंशन से मूलधन और ब्याज की नियमित किश्तों की वसूली सम्भव न हो तो उसकी शेष राशि की अदायगी उन्हें सरकारी कोष में नकद जमा करवानी होगी और इस भुगतान के प्रमाण के रूप में वे चालान की एक प्रति विधान सभा सचिवालय को अभिलेख हेतु भेजेंगे । और यह भी कि यदि कोई भूतपूर्व सदस्य पुन: विधान सभा सदस्य निर्वाचित होता है तो वसूली उनको मिलने वाले वेतन और भत्तों से की जा सकेगी ।

(4) अग्रिम धनराशि और उस पर लगे ब्याज की सम्पूर्ण वसूली से पूर्व भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु की दशा में उक्त वसूली पारिवारिक पैंशन या विधिक प्रतिनिधि द्वारा नियमित रूप से मासिक किश्तों में सरकारी खजाने में जमा की जाएगी जिसके प्रमाण म खजाने के चालान की प्रति विधान सभा सचिवालय को प्रेषित करनी होगी ।

(5) यदि यथास्थिति भूतपूर्व सदस्य या उसका विधिक प्रतिनिधि, अग्रिम के मूलधन अथवा उस पर ब्याज की मासिक किश्तों की नियमित अदायगी नहीं करता है अथवा यदि वह (वे) दिवालिया हो जाता है/जाते हैं या ऋण की अदायगी के नियमों तथा शर्तों के अनुपालन या पालन करने में विफल होता है/होते हैं तो विधान सभा सचिवालय को उपरोक्त बकाया राशि (मूलधन एवं ब्याज) भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने की छूट/स्वतन्त्रता होगी ।

7. ऋण के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए बंधक विलेख के निष्पादन का उत्तरदायित्व.—क्योंकि अग्रिम से निर्मित भवन एवं सम्बन्धित भूमि, सम्पूर्ण ब्याज सहित अग्रिम अदायगी न होने तक सरकारी सम्पति होगी अत: उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूतपूर्व सदस्य का यदि अग्रिम धनराशि और उस पर लगे ब्याज के पूर्ण प्रतिसंदाय से पूर्व ही निधन हो जाता है तो उसके फलस्वरूप सरकार को होने वाली हानि से प्रतिभूत करने हेतु उस भवन को जो अग्रिम राशि से निर्मित किया गया है अथवा खरीदा गया है, भूमि सहित, जिस पर वह भवन है, इन नियमों से संलग्न प्रारूप-2 पर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास बंधक रखा जाएगा, जिसे यथास्थिति पहली किश्त अथवा एक मुश्त राशि के भुगतान से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा तथा अग्रिम राशि को ब्याज सहित पूरी अदायगी के पश्चात् बंधक को इन नियमों में संलग्न प्रारूप-3 पर प्रतिहस्तांतरण विलेख के निष्पादन पर मुक्त किया जाएगा । बंधक विलेख निष्पादन होने पर मंजूरी प्राधिकारी उस भूमि पर, जिस पर वह भवन खड़ा है या उसे निर्मित करने का प्रस्ताव है, आवेदक के हक की शुद्धता से अपने आपको संतुष्ट करेगा ।

8. परिसर को अच्छी अवस्था में रखने तथा आग के जोखिम आदि के लिए बीमा कराने का दायित्व.—भूतपूर्व सदस्य अपने खर्चे पर भवन को अच्छी अवस्था में रखेगा। वह इसका आग, बाढ़ आदि से होने वाली हानि के विरुद्ध इतनी राशि तक का बीमा करवाएगा जो कि स्वीकृत अग्रिम धनराशि से कम न हो, तथा इस प्रयोजन का वार्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

9. व्यावृतियां.—इन नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।

प्रारूप-1

(नियम 3 देखें)

**भवन निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि के लिए आवेदन का प्रारूप**

1. भूतपूर्व सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....
2. अपेक्षित अग्रिम की धनराशि या निर्दिष्ट करते हुए कि क्या .....
   (1) भवन निर्माण के लिए अपेक्षित, अथवा .....
   (2) बने हुए मकान के लिए अपेक्षित है .....
3. स्थान, जहां पर भवन बनाया जाना है और यदि बने हुए भवन की खरीद के लिए अपेक्षित हो, तो भवन की लागत के उचित होने के सम्बन्ध में वास्तुकार अर्थात् आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र साथ लगाया जाए।
4. किश्तों की संख्या जिसमें अग्रिम धनराशि ली जानी प्रस्तावित है अथवा एकमुश्त में .....
5. ब्याज सहित अग्रिम की वापसी के लिए प्रस्तावित किश्तों की संख्या .....
6. क्या यह प्लाट जिस पर भूतपूर्व सदस्य भवन निर्माण का इरादा रखता है, उसके स्वामित्व और कब्जे में है।
7. प्लाट/जमीन जिस पर आवेदक भवन निर्माण का इरादा रखता है, पर उसके हक का प्रमाणित सबूत .....
8. समय जिसके अन्तर्गत भूतपूर्व सदस्य भवन निर्माण का कार्य आरम्भ करेगा और उसके पूरा होने की अवधि .....

प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं बने हुए भवन/प्लाट जिस पर भवन बनाया जाना है को बन्धक रखूंगा और बन्धक-पत्र निष्पादित तथा पंजीकृत करवाऊंगा।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि क्षेत्रीय परिषद् या विधान सभा का सदस्य रहते मैंने गृह निर्माण हेतु कोई अग्रिम विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश सरकार से नहीं लिया है।

दिनांक .....

(भूतपूर्व सदस्य के हस्ताक्षर)

संलग्नक .....

---

प्रारूप-2

(नियम 7 देखें)

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री ..... जोकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य हैं (जिसे इसके पश्चात् बन्धक कर्ता कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, समनुदेशिति विधिक प्रतिनिधि और भी सम्मिलित है) और दूसरे पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बन्धकदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल हैं, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) आज दिनांक .....को किया गया है।

चूंकि एतद्द्वारा स्वत्वान्तरित, हस्तान्तरित और बीमाकृत की जाने वाली भूमि दाय और परिसरों, जिन्हें इसमें आगे वर्णित और अभिव्यक्त किया गया है (इसमें इसके पश्चात् "उक्तदाय" कहा गया है) पर बन्धक कर्ता का निरंकुश रूप में अभिग्रहण और कब्जा है अथवा अन्यथा रूप में उसका सही हकदार है,

और क्योंकि बन्धक ने बन्धकदार को अपने निजी प्रयोग के लिये अपना भवन बनाने हेतु/नवनिर्मित भवन खरीदने हेतु .....रुपये (.....) की अग्रिम धनराशि के लिये आवेदन-पत्र दिया है,

और चूंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के (भवन निर्माण के लिये अग्रिम ऋण) नियम, 2003 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है और इसके अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ के अनुकूल है, वर्तमान प्रवृत नियम, उनका कोई संशोधन या उसमें कोई परिवर्तन भी आता है) के उपबन्धों के अधीन बन्धकदार बन्धक कर्त्ता को .....रुपये (.....रुपये) की उक्त रकम अधोलिखित रूप में भुगतान योग्य अग्रिम धनराशि के रूप में देने को सहमत है:—

(क) निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये.....रुपये ।

(ख) भवन को छत की सतह तक पूर्ण कर लेने के पश्चात्.....रुपये।

(ग) अथवा एक मुश्त राशि के रूप में.....रुपये ।

यह करार इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और बन्धकदार द्वारा बन्धक कर्त्ता को इसमें पूर्व उल्लिखित खर्चों को करने में सशक्त बनाने के प्रयोजन से इस करार के निष्पादन के पश्चात् या उससे पहले प्रदत्त .....रुपये (.....) (जिसकी पावती बन्धक कर्त्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है) और ऐसी और धनराशि जो इस करार में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसरण में बन्धकदार द्वारा बन्धक कर्त्ता को दी जायेगी और उस पर उक्त नियमों में निर्धारित रीति में संगणित ब्याज जिसकी पुनः अदायगी के लिये .....बन्धक कर्त्ता एतद्द्वारा प्रसविदा करता है और इसके प्रतिफल के लिये यह करार करता है,

और यह करार इस बात का साक्षी है कि पूर्वोक्त प्रतिफल के लिये बन्धक कर्त्ता बन्धकदार को इस सारे भूखण्ड को जो बन्धक कर्त्ता के लगभग कब्जे में है तथा जो .....जिले ..... पंजीकरण जिला के .....में स्थित है तथा जो उत्तर में ..... पूर्व में .....से दक्षिण में .....से तथा पश्चिम में ..... से परिसीमित है एवं उस पर अब उस बनाये गये रिहायशी मकान अथवा इसके पश्चात् बनाये जाने वाले रिहायशी मकानों के साथ उक्त दाय के सभी अधिकार, सुखाधिकार, अनुबन्ध और उक्त भूमि के खण्ड पर इसके पश्चात् खड़े किए गए या बनाए गये मकानों को बन्धकदार और उसकी ओर से पूर्ण प्रयोग के लिये इसमें इसके पश्चात् निहित परन्तुक में दिए गये विमोचन के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये स्वत्वांतरित, हस्तान्तरित और आश्वस्त करता है ।

सर्वथा यह भी करार किया जाता है कि यदि और ज्यों ही इस करार में उल्लिखित प्रतिभूति पर प्रदत्त की गई उक्त अग्रिम धनराशि.....रुपये (और ऐसी अन्य रकमें जिनका यथापूर्वोक्त भुगतान किया गया हो) और उक्त नियमों में उपबन्धित व्यवस्था या किसी अन्य रीति से उस पर संगणित ब्याज यदि वापिस लिया जाता है, तब और ऐसी स्थिति में बन्धकदार बन्धक कर्त्ता के प्रार्थना किये जाने पर बन्धक कर्त्ता के प्रयोग के लिये अथवा जैसा वह निदेश दें, लागत पर उक्त दाय को पुनः स्वत्वांतरित, पुनः हस्तान्तरित और पुनः आश्वस्त करेगा और इस द्वारा करार अथवा घोषणा की जाती है कि यदि बन्धक कर्त्ता इकरार को भंग करता है और यदि उक्त रकम .....रुपये और कोई अन्य रकमें जिनका यथापूर्व भुगतान किया जाना हो और यदि उक्त नियमों के अनुसार संगणित ब्याज के भुगतान से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार की समस्त स्थितियों में बन्धकदार द्वारा उक्त दाय को या उसके किसी अंश के इक्ट्ठे या आंशिक रूप से सार्वजनिक नीलामी या निजी संविदा द्वारा बेचना विधिमान्य होगा, उसे इसको बेचने की शक्ति प्राप्त होगी तथा ऐसे विक्रय से हुई हानि के प्रति वह उत्तरदायी नहीं होगा ।

और वह ऐसे किसी विक्रय, जिसे बन्धकदार उपयुक्त समझे, को करने और उसके लिये आवश्यक सभी कार्यों तथा आश्वासनों को कार्यान्वित करने में सक्षम होगा तथा एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि बन्धकदार विक्रीत परिसरों या उसके किसी भाग से प्राप्त विक्रय आगम में से क्रेता अथवा क्रेताओं को अचूक रूप से मुक्त करेगा और एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि बन्धकदार पूर्वोक्त शक्ति के अनुसरण में किये गये विक्रय से प्राप्त धनराशि को न्यास के रूप में रखेगा, उसमें से सर्वप्रथम ऐसे विक्रय पर उपगत हुये खर्चे का भुगतान करेगा, उसके पश्चात् इस करार की प्रतिभूति पर फिलहाल देय रकमों के भुगतान पर उस धनराशि से रकम लगाएगा और तब शेष (यदि कोई हो) बन्धक कर्ता को देगा तथा एतद्द्वारा यह माना जाता है तथा घोषित किया जाता है कि उक्त नियमों का इस करार का अंश समझा और माना जायेगा ।

बन्धक कर्ता, बन्धकग्राही के साथ एतद्ग्राही के साथ एतद्द्वारा यह प्रसंविदा करता है कि वह (बन्धक कर्ता) अपनी प्रतिभूति के चालू रहने के दौरान, इस करार और उक्त दाय के सम्बन्ध में पालित और अनुष्ठित किए जाने वाले उक्त नियमों के उपबन्धों और शर्तों का पालन और निष्पादन करेगा ।

इसके साक्ष्य स्वरूप बन्धककर्ता ने इस विलेख पर ऊपर लिखी तिथि एवं वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

निम्नलिखित की उपस्थिति में बन्धककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित:—

पहला साक्षी .....

पता .....

व्यवसाय .....

दूसरा साक्षी .....

पता .....

व्यवसाय .....

---

प्रारुप-3

(नियम 7 देखिए)

**भवन निर्माण अग्रिम हेतु प्रतिहस्तांतरण**

यह अनुबन्ध विलेख दिनांक ..... को एक पक्षकार के रूप में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (जिन्हें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है) एक पक्ष और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री ..... भूतपूर्व सदस्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा (जिसे इसके पश्चात् "बन्धक कर्ता" कहा गया है) के बीच किया गया, यह उस ..... बन्धक-पत्र के अनुबन्ध विलेख का अनुपूरक है जो कि दिनांक ..... को एक पक्षकार के रूप में बन्धक कर्ता और दूसरे पक्षकार के रूप में राज्यपाल के मध्य किया गया था तथा जो पुस्तक के खण्ड. .....पृष्ठ .....से .....पर क्रय में पंजीकृत है (जिसे इसके पश्चात् मुख्य अभिलेख कहा गया है) ।

चूंकि मुख्य अभिलेख के अधीन देय राशि अदा कर दी गई है और उक्त विलेख की प्रतिभूति का दायित्व पूर्णतया शोधित है तथा राज्यपाल बन्धक कर्ता के निवेदन पर लिखित अनुबन्ध विलेख में अन्तर्विष्ट प्रतिहस्तान्तरण, जैसा कि एतद् उपरान्त समाविष्ट है के लिए सहमत हो गए हैं ।

अब यह अनुबन्ध विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त मुख्य विलेख के अनुसरण में और बचनों के प्रतिफल में राज्यपाल एतद्द्वारा बन्धक कर्ता, उसके वारिस, निष्पादक तथा समनुदेशिती को भूमि के उन सभी भागों को जो ..... में स्थित है, व उत्तर में ..... में स्थित है, ..... दक्षिण में ..... से पूर्व ..... तथा पश्चिम में लगभग ..... तक परिसीमित है तथा जिसमें उन परिसरों से अन्यथा सामूहिक रूप से उस पर बने निवास स्थान और वाह्य कार्यालय, अश्वशाला, पाकशाला आदि सम्मिलित है तथा जो मुख्य अनुवन्ध विलेख में अन्तर्विष्ट है या जिनका एतद्द्वारा बीमाकृत होना अभिव्यक्त है अथवा जो कि अब मुख्य अनुबन्ध विलेख के कारण अथवा इसके विमोचन के अध्याधीन किसी भी प्रकार राज्यपाल में निहित उनके अधिकारों, सुविधाओं तथा अनुबन्धकों जैसा कि मुख्य अनुबन्ध विलेख में अभिव्यक्त है तथा मुख्य अनुबन्ध विलेख के कारण उसी परिसर में से अथवा उस पर राज्यपाल के समस्त सम्पदा अधिकार, स्वात्वधिकार, हित, सम्पति, प्रभार तथा मांगे जो भी हो, से उन परिसरों जो एतद्द्वारा इससे पूर्व बन्धक कर्ता, उसके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा उसके प्रयोग के लिए स्वीकृत, नियत तथा प्रतिहस्तांतरित है, को रखने अथवा बनाए रखने के लिए तथा मुख्य अनुबन्ध विलेख द्वारा रक्षित होने के लिए उस सारे धन से अथवा उपरोक्त राशि अथवा उसके किसी भी अंश से अथवा परिसर या मुख्य अनुबन्ध विलेख से सम्बन्ध सभी कार्यों, वादों, लेखों, दावों और मांगों से सदा के लिए मुक्त करता है

और राज्यपाल एतद्द्वारा बन्धककर्ता, उसके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशितों से प्रसंविदा करते हैं कि राज्यपाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अथवा इसके लिए जानबूझ कर समनुज्ञा नहीं की है अथवा इसके लिए वह एक पक्ष या सहभागी नहीं रहे हैं, जिसके द्वारा उपरोक्त परिवार अथवा इसके लिए किसी भी भाग के लिए उन पर महाभियोग लाया जाए अथवा लाया जा सकता हो, स्वत्वधिकार सम्पदा अथवा इसके अन्यथा जो भी हैं, में परिबन्धन अथवा रुकावट लाई जा सके । इसके साक्ष्य स्वरूप इससे सम्बद्ध पक्षकारों ने इस पर ऊपरलिखित दिन और वर्ष को मोहर सहित अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से .....
हस्ताक्षरित, मोहर बन्द तथा प्रदत्त किया .....

1. .....
2. .....

की उपस्थिति में :

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित